अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
सकारण आदेश

नयी अनुरक्षण नीति–2018 (MR-3054) अन्तर्गत **कार्य प्रमण्डल, मधुबनी के अधीन "अतिथी होटल एन0एच0 से हार्ट हॉस्पीटल मंगरौनी तक पथ"** के नवीनीकरण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद), निबंधन सं0–(1200106), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401** को आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–02/MBD/2022-23 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 21.07.2022 एवं नवीनीकरण कार्य पूर्णता की तिथि 20.03.2023 है। एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप संवेदक को नवीनीकरण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् पाँच वर्षो तक पथ का अनुरक्षण कार्य भी करना है।

संवेदक द्वारा पथ को अच्छी तरह संधारित नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–665 दिनांक–12.05.2023, पत्रांक–1085 दिनांक–06.07.2023, पत्रांक–1239 दिनांक–27.07.2023 एवं पत्रांक–1505 दिनांक–09.09.2023 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। इस पथ की संयुक्त जाँच अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा दिनांक–30.08.2023 को की गई। प्राप्त संयुक्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पथ की पूरी लम्बाई 1.01 कि0मी0 में Cement Concrete Pavement का कार्य कराया गया है तथा Riding Surface सही नहीं पाया गया। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण पथ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। पथ में अवस्थित पुल के Return Wall में वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव हो गया है, जिसका मरम्मत कार्य भी संवेदक द्वारा नहीं कराया गया है। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता मधुबनी के कार्यालय आदेश सह पठित ज्ञापांक–1578 दिनांक–20.09.2023 द्वारा विषयगत कार्य के एकरारनामा को MBD के Clause of Contract की कंडिका 59 एवं अन्य कंडिकाओं के उपकंडिकाओं के तहत विखंडित करते हुए जमानत की राशि जब्त की गई एवं संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–5312 दिनांक–12.10.2023 द्वारा संवेदक से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक के पत्रांक–85 दिनांक–20.10.2023 द्वारा इस आशय की जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि वे इलाजरत है तथा उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए दिनांक–15.11.2023 तक का समय दिया जाय। संवेदक के अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक–5909 दिनांक–14.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की तिथि दिनांक–16.11.2023 तक विस्तारित की गयी। इसी बीच संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–14.11.2023 को उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न विन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

संवेदक द्वारा उठाये गये विन्दु	विभागीय समीक्षा का निष्कर्ष
1. मेरे द्वारा पथ का अनुरक्षण ससमय किया जाता रहा है तथा अनुरक्षण कार्य संतोषजनक रहने पर ही माह सितम्बर 2023 में मुझे भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि पथ का अनुरक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा पथ–सतह सुगम है।	1. संवेदक को किया गया भुगतान पूर्व में किये गये कार्य के लिए किया गया है। वर्तमान में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है।

SP

2. कार्यपालक अभियंता द्वारा मेरे पत्र संख्या–30 दिनांक–02.04.2023, पत्र संख्या–54 दिनांक–02.08.2023, पत्र संख्या–77 दिनांक–21.09.2023, पत्र संख्या–85 दिनांक–20.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) वर्णित तथ्यों की अनदेखी करते हुए जानबुझ कर परेशान करने के उद्देश्य से एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की गई है तथा कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गई है जो तथ्य से परे एवं घोर आपात्तिजनक है।	2. संवेदक को कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा अपने पत्रांक–1505 दिनांक–09.09.2023, 1239 दिनांक–27.07.2023, 1085 दिनांक–06.07.2023 एवं 665 दिनांक–12.05.2023 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है।
3. अतीत में भी अनावश्यक परेशान कर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई इनके द्वारा की जा चुकी है, जिसके कारण मैं कई निविदाओं में भाग लेने से वंचित रह चुका हूँ, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सभी कृत्य को सही नहीं पाया।	3. कोई तथ्यात्मक विवरणी संवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
4. मैंने Potless पथ का विडियों कार्यपालक अभियंता को भेजा जो पुनः संलग्न है। इसे अमान्य कर पूर्णग्रह से ग्रसीत होकर एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है।	4. यह तथ्य से परे है। पथ की पूरी लम्बाई में पथ का Riding Surface खराब पाया गया है।
5. मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3694 दिनांक–13.07.2023 द्वारा विषयांकित कार्य की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया, जिसके आलोक में जाँच दल द्वारा आपना जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया किन्तु जाँच दल के कार्य स्थल की जाँच की सूचना न तो मुझे दी गई और न मेरा पक्ष सुना गया। इस प्रकार प्रतिवेदन एक पक्षीय एवं मनमाना है।	5. यह बाध्यकारी नहीं है। संवेदक को हमेशा अपने पथ की देख–रेख में रहना होता है। इससे स्पष्ट है कि वे निरीक्षण की तिथि को पथ की देख–रेख हेतु उपलब्ध नहीं थें न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। यह एकरारनामा की शर्तों के विरूद्ध है।
6. जाँच प्रतिवेदन में किस किलोमीटर में Riding Surface सही नहीं पाया गया इसका उल्लेख नहीं है।	6. पथ की पूरी लम्बाई में Riding Surface खराब है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है।
7. पथ की स्थिति खराब का स्थान चिह्नित बताया नहीं गया है तथा पथ के Pavment के विपरीत भारी वाहनों का आवागमन इस पथ से होकर एन0एच0 को जाता है, इस पर जाँच प्रतिवेदन में मौनव्रत धारण कर लिया गया है।	7. पूरी लम्बाई में पथ की स्थिति खराब है। संवेदक द्वारा अपने बचाव हेतु भारी वाहन के आवागमन का उल्लेख है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है।
8. विषयांकित पथ पर भारी वाहनों के परिचालन से उसके मानक के अनुरूप पथ सतह की मुटाई नहीं होने से क्षति का होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं कदापि दोषी नहीं हूँ।	8. कंडिका–7 में इसका उल्लेख कर दिया गया है। संवेदक का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

SP

9. पथ का जाँच प्रतिवेदन में छायाचित्र स्थल का जो लिया गया, उसमें किसी पथांश में क्षति का मार्क नहीं किया गया। पुल के Return Wall में मिट्टी कटाव का छायाचित्र में दर्शाया नहीं जाना भी जाँच प्रतिवेदन तथ्य से परे प्रतीत होता है।	9. जाँच प्रतिवदेन में स्पष्ट उल्लेखित है कि Return Wall में मिट्टी कटाव हुआ है, जिसकी भरपाई संवेदक को करनी थी, जो कि नहीं किया गया है।
10. स्थल जाँच की छायाप्रतियाँ अतिथि होटल के पास की है जहाँ पर जल निकासी का साधन नहीं है, जिससे वहाँ पर आस–पास के जल बहाव का Logging हो जाने पर सतह टुटान का खतरा हमेशा बना रहता है। जिसके लिए मैं उत्तरदायी बताना चिन्ताजनक एवं हास्थास्पद प्रतीत हो रहा है।	10. पूरी लम्बाई में पथ की स्थिति असंतोषजनक पायी गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11(क)(VI) तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का का0अ0सं0–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका 8(1)(b) में निहित प्रावधानों के आलोक में संवेदक **मेसर्स स्टार कन्राट्रक्शन (प्रो0 परवेज अहमद), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401** के (**निबंधन सं0–1200106**) को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 27/11/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–58/2023 – 6012 /पटना, दिनांकः–27/11/2023

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण बिभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/11/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव

SP

(132)

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—58/2023 - 6012 /पटना, दिनांकः—27/11/2023

प्रतिलिपिः—सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/23

अभियंता प्रमुख—सह—अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—58/2023 - 6012 /पटना, दिनांकः—27/11/23

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/23

अभियंता प्रमुख—सह—अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—58/2023 - 6012 /पटना, दिनांकः—27/11/2023

प्रतिलिपिः—संवेदक मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0—परवेज अहमद), निबंधन सं0—(1200106), **S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401** को सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/23

अभियंता प्रमुख—सह—अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव

SP